भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 449
04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

सीएएमसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

+449. श्री हमदुल्ला सईद :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएएमसी) द्वारा मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निध (एफआईडीएफ) के अंतर्गत कितने परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में परियोजनाओं के प्रकार और उनके वितरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्त वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ) को कार्यान्वित कर रहा है । एफआईडीएफ, अन्य बातों के साथ-साथ पहचान की गई फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य संस्थाओं और अन्य हितधारकों सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को विभिन्न फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत, 5% तक के ब्याज दर पर एनएलई द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्स्यपालन विभाग 3% तक प्रति वर्ष ब्याज सहायता प्रदान करता है । एफआईडीएफ योजना की केन्द्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएएमसी) की सिफारिश के आधार पर, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कुल 5801.06 करोड़ रुपए की लागत से कुल 136 परियोजना प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ब्याज सहायता के लिए 3858.19 करोड़ रुपए तक परियोजना लागत सीमित की गई है। एफआईडीएफ के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदत्त परियोजनाओं में फिशिंग हार्बर्स, फिश लैंडिंग सेंटर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र), मॉडर्न फिश मार्केट, ब्रूड बैंक, हैचरियाँ, राज्य मत्स्य बीज फार्म का आधुनिकीकरण, मात्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्र, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां, फिश फ़ीड मिल्स/प्लांट्स, जलाशय में केज कल्चर, मेरीकल्चर आदि शामिल हैं। एफआईडीएफ के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना का राज्य / केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि
1.	आंध्र प्रदेश	10	1396.83	653.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.68	0.54
3.	असम	1	0.41	0.18
4.	गोवा	1	6.42	5.00
5.	गुजरात	5	1354.92	750.00
6.	हरियाणा	1	1.17	0.64
7.	हिमाचल प्रदेश	1	5.17	5.00
8.	जम्मू और कश्मीर	2	120.70	93.17
9.	कर्नाटक	2	1.44	0.79
10.	केरल	3	162.82	151.20
11.	महाराष्ट्र	13	1031.30	770.25
12.	मणिपुर	4	1.15	0.90
13.	मिजोरम	1	8.57	6.85
14.	ओडिशा	4	60.18	33.83
15.	पुदुचेरी	1	2.46	1.97
16.	तमिलनाडु	66	1576.08	1337.81
17.	तेलंगाना	1	4.70	2.31
18.	उत्तर प्रदेश	1	0.22	0.09
19.	पश्चिम बंगाल	18	66.07	44.69
	कुल	**136**	**5801. 06**	**3858. 19**

स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, एफआईडीएफ योजना की सीएएमसी द्वारा नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जा रही है और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी (एनआईए) के रूप में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) स्वीकृत परियोजनाओं का डेस्क और आवश्यकता आधारित क्षेत्रीय निरीक्षण करता है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। एफआईडीएफ के अंतर्गत अनुमोदित कुल 136 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनका संचालन शुरू हो चुका है, जिससे लगभग 30,000 हितधारकों को लाभ मिला है ।

*****